न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमशे सीरवी पुनाडिया, RAS.

पत्रावली संख्या : 43/24 (विविध प्रार्थना पत्र)

जीसीएमएस नम्बर : 2024/180

1. श्री शंकरलाल पिता गोवर्धन तेली निवासी फलीचड़ा तहसील मावली जिला उदयपुर।

.................प्रार्थी

बनाम

1. श्री मांगीलाल पिता दलीचंद जाट निवासी फलीचडा तहसील मावली जिला उदयपुर।
2. श्री रतनलाल पिता दलीचंद जाट निवासी फलीचडा तहसील मावली जिला उदयपुर।
3. श्रीमती केसरबाई पत्नी दलीचंद जाट निवासी फलीचडा तहसील मावली जिला उदयपुर।
4. श्रीमती प्रेमबाई पुत्री दलीचंद जाट निवासी फलीचडा तहसील मावली जिला उदयपुर।
5. श्रीमती श्रवणबाई पुत्री दलीचंद जाट निवासी फलीचडा तहसील मावली जिला उदयपुर।
6. श्रीमती सुशीलाबाई पुत्री दलीचंद जाट निवासी फलीचडा तहसील मावली जिला उदयपुर।
7. श्री रामचन्द्र पिता मोहन जाट निवासी फलीचडा तहसील मावली जिला उदयपुर।
8. श्रीमती मांगीबाई पुत्री मोहन जाट निवासी फलीचडा तहसील मावली जिला उदयपुर।
9. श्रीमती देउबाई पुत्री मोहन जाट निवासी फलीचडा तहसील मावली जिला उदयपुर।
10. श्रीमती गोपीबाई पत्नी गोवर्धन तेली निवासी फलीचडा तहसील मावली जिला उदयपुर।
11. श्री कमलेश पिता खेमराज तेली निवासी फलीचडा तहसील मावली जिला उदयपुर।
12. श्री डालचंद पिता खेमराज तेली निवासी फलीचडा तहसील मावली जिला उदयपुर।
13. श्री लालु पिता खेमराज तेली निवासी फलीचडा तहसील मावली जिला उदयपुर।
14. श्रीमती धापुबाई पत्नी खेमराज तेली निवासी फलीचडा तहसील मावली जिला उदयपुर।
15. श्री मांगीलाल पिता मेघा तेली निवासी फलीचडा तहसील मावली जिला उदयपुर।
16. श्री राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०)

................विपक्षीगण

उपस्थित :– 1. श्री कमलेश जैन, अधिवक्ता प्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 08.04.2025

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा फलीचड़ा [illegible] फलीचड़ा तहसील मावली जिला उदयपुर के आराजी नम्बर 1484, 1485 व 1513 [illegible] 3 कुल रकबा 0.3804 भूमि वर्तमान रिकॉर्ड में मुझ प्रार्थी [illegible] के नाम सहखातेदारी हक से

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Singh Punadia
Date: 2025.05.26 12:03:36 IST
Reason: SelfAttested

दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 10 से 15 की सहखातेदारी हक की भूमि के सटमा विपक्षी संख्या 1 से 9 की भूमि होने से विपक्षी संख्या 1 से 9 से सीमा को लेकर आये दिन विवाद होता रहता है। विवाद करने का विपक्षी संख्या 1 से 9 को कोई अधिकार नही है। अंत में निवेदन किया की मुझ प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 10 से 15 की सहखातेदारी हक की कृषि भूमि की पूर्व दिशा में स्थित विपक्षी संख्या 1 से 9 की कृषि भूमि के मध्य पत्थरगढी का आदेश प्रदान करवाया जावे एवं विपक्षी संख्या 1 से 9 को इस बात के लिये पाबंद किया जावे की वो मुझ प्रार्थी एवं अन्य सहखातेदार के हिस्से में आने वाली आराजीयात में कोई दखलन्दाजी नही करें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1, 2, 4 से 7, 9, 11 से 13 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। विपक्षी संख्या 15 द्वारा उपस्थित होकर पत्थरगड़ी किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि प्रकरण ग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 10 से 15 की सह खातेदारी हक की भूमि है जिसमें विपक्षी संख्या 1 से 9 का किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा निहित नही है। प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 10 से 15 की सहखातेदारी हक की भूमि का पूर्व दिशा का सीमांकन करवाकर पत्थरगड़ी करवाए जाने का आदेश प्रदान करावें।

3. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस को समायत किया तथा दस्तावेजात का अवलोकन किया । पत्रावली के तथ्यों पर मनन् किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुँचें है कि मौजा फलीचड़ा पटवार हल्का फलीचड़ा तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 30 पर दर्ज आराजी नम्बर 1484, 1485, 1513 किता 3 कुल रकबा 0.3804 हैक्टयर भूमि का प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 10 से 15 सहखातेदार काश्तकार है। उक्त आराजीयात में विपक्षी संख्या 1 से 9 का कोई हक हिस्सा निहित नही है। प्रार्थी अपनी सहखातेदारी भूमि की नपती करवाकर पत्थरगढी करवाना चाहता है। इससे विपक्षी संख्या 1 से 9 के हक अधिकारो पर कोई विपरीत प्रभाव नही पड़ेगा। इसलिये प्रार्थी को अपनी सहखातेदारी हक की आराजियात की पत्थरगड़ी कराने का पूर्ण अधिकार है। विपक्षी संख्या 1, 2, 4 से 7, 9, 11 से 13 द्वारा बावजूद सूचना न्यायालय में उस्थित नही होना यह जाहीर करता है कि प्रार्थी की सहखातेदारी हक की भूमि की पूर्व दिशा की पत्थरगड़ी की जाती है तो उन्हे कोई आपत्ति नही है। विपक्षी संख्या 15 स्वयं द्वारा पत्थरगड़ी करवाए जाने का निवेदन किया जा चुका है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 12:03:36 IST
Reason: SelfAttested

4. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर पत्थरगड़ी कराने बाबत 1000/–रूपये शुल्क पर तहसीलदार मावली को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा फलीचड़ा पटवार हल्का फलीचड़ा तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 30 पर दर्ज आराजी नम्बर 1484, 1485, 1513 किता 3 कुल रकबा 0.3804 हैक्टयर भूमि की पूर्व दिशा का पुख्ता सीमांकन किया जाकर पत्थरगड़ी प्रार्थी/सहखातेदार एवं विपक्षीगण/पड़ौसी खातेदारो की उपस्थिति में की जावे। फीस कमिश्नर प्रार्थी मौके पर अदा करें।
5. तहसीलदार मावली को लिखा जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।
6. निर्णय सरे ईजलास में सुनाया गया ।

(रमेश सीरवी पुनाडिया) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी मावली
जिला उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 12:03:36 IST
Reason: SelfAttested